बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आम सूचना

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिए बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के विभिन्न परीक्षा बोर्डों से वर्ष 2021 की वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं द्वारा NIC के Portal पर सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित किये जाने के संबंध में।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट उतीर्ण) प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष, 2021–22 में बिहार राज्य क्षेत्रान्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) उच्च माध्यमिक विद्यालयों/अनुदानित विद्यालयों (प्रोजेक्ट विद्यालयों सहित) प्रस्वीकृत एवं संबद्धता प्राप्त विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत, मदरसा/संस्कृत से इन्टर उतीर्ण होने पर अविवाहित कन्याओं का ₹10,000/– (दस हजार) मात्र की आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाना है। यह राशि सीधे पात्र लाभुकों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से अन्तरित की जायेगी।

2. पात्र लाभुकों को प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में ऑनलाईन अन्तरित करने के लिए NIC द्वारा ekalyan पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल पर बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के विभिन्न परीक्षा बोर्डों से वर्ष 2021 की वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं की जिलावार एवं संस्थानवार विवरण अपलोड कर दिया गया है।

3. सभी पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे NIC द्वारा विकसित ekalyan पोर्टल को www.edudbt.bih.nic.in के माध्यम से खोलकर अपना निबंधन करेगे। निबंधन के लिए छात्रा से संबंधित सूचनाएँ यथा पंजीयन संख्या, प्राप्तांक, जन्म तिथि (प्रवेशिका प्रमाण पत्र के अनुसार), नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0सी0 कोड, आधार संख्या, मोबाईल नं0, ईमेल आईडी तथा अविवाहित होने का घोषणा अंकित करना होगा। कोई भी तथ्य/सूचना गलत अंकित किये जाने की स्थिति में निबंधन रदद् हो जायेगा तथा छात्रा को पुनः निबंधन कराने का अवसर प्राप्त होगा। पोर्टल पर अंकित तथ्य/सूचना पंजीयन/अंक प्रमाण पत्र में अंकित तथ्य/ सूचना के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही छात्रा के बैंक खाता एवं आधार में छात्रा का नाम उसके पंजीयन/अंक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के अनुरूप होना अनिवार्य है। निबंधन के समय दर्ज कराई गई सूचनाओं के सत्यापन के पश्चात् छात्रा के रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 तथा ईमेल आईडी पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड (User ID & Password) उपलब्ध होगा। **यूजर आईडी एवं पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।**

4. यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के बाद छात्रा को पुनः पोर्टल पर लॉग इन करके अपने फार्म को पूरा करते हुए अंतिम रूप देना है। छात्रा द्वारा फार्म को अंतिम रूप देने के पश्चात् किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. ध्यान रहे कि बैंक खाता पात्र छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए तथा यह खाता राश्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए।

6. प्रयास किया जाए कि सूचनाओं को अंकित किये जाने का कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाईल/लैपटॉप/कम्प्यूटर आदि के माध्यम से किया जाय।

7. उक्त के संदर्भ में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए मोबाईल नं0–91+9534547098 (श्री राज कुमार), 91+8986294256 (श्री इंद्रजीत) तथा 91+8709739659 (श्री रविन्द्र कुमार झा) एवं ईमेल आईडी–mkuyhelp@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक (मा0 शि0),
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

PR. No. 13852 (Education) 2021-22

बिहार में शराब का व्यापार, बिक्री एवं सेवन अवैध है।
इससे संबंधित शिकायत इस नंबर पर दर्ज करायें, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।
टॉल फ्री नं– 15545 या 1800 345 6268